

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

प्राचार्य,
श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज,
मुजफ्फरपुर।

पटना, दिनांक- 6 / 11 / 2018

विषय:- श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरपुर को विपत्र कोड-20-2210051050008 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल रू० 10,72,54,250/- (रुपये दस करोड़ बहत्तर लाख चौवन हजार दो सौ पचास) मात्र का अतिरिक्त आवंटन

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्राचार्य, श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-2416/18, दिनांक-20.10.2018 के आलोक में श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरपुर को विपत्र कोड-20-2210051050008 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में संलग्न विवरणी के अनुसार वेतनादि एवं अन्य प्राथमिक ईकाइयों में कुल रू० 10,72,54,250/- (रुपये दस करोड़ बहत्तर लाख चौवन हजार दो सौ पचास) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561/वि०(2), दिनांक-17.04.98, 2356/वि०(2), दिनांक-12.04.06, 2398/वि०(2), दिनांक-08.04.08 एवं 3388/वि०(2), दि०-18.04.11 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है एवं इनके प्रावधानों के अनुपालन की जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्राचार्य, श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरपुर होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-0008-श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरपुर, विपत्र कोड-20-2210051050008 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंधित राशि से की जायेगी।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुसार नियुक्त एवं पदस्थापित कर्मियों का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

6. आवंटित राशि की व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि सहित प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन से किये गये व्यय का महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा सत्यापित कराकर सत्यापित प्रतिवेदन भी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। महालेखाकार का सत्यापित प्रतिवेदन अप्राप्त होने की स्थिति में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आने पर इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।

Q

7. यह मात्र आवंटन है, व्यय की स्वीकृति नहीं। इस राशि से क्रय संबंधी कार्य वित्त नियमावली एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों/अनुदेशों के आलोक में निर्धारित शर्तों के तहत किया जाएगा।
8. इस आवंटनादेश द्वारा 0008.52.01 मशीनें एवं उपस्कर-कार्यालय ईकाई में आवंटित राशि में संस्थान एवं इसके प्रयोगशालाओं के मशीनों एवं उपस्कर के मरम्मत एवं रख-रखाव के लिए भी राशि शामिल है।
9. इस आवंटन से पूर्व के बकाये का भुगतान किया जा सकता है। न्यायादेश से आच्छादित मामलों में बकाये के भुगतान में प्राथमिकता दी जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी लंबित दायित्वों के भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित हो लें कि बकाये की निकासी पूर्व में नहीं की गई है और दावा नियमानुकूल है।
10. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, मुजफ्फरपुर से की जाएगी।
11. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है।
12. इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(राधेश्याम साह)

सरकार के विशेष सचिव

- ज्ञापांक:-1/एस0मे0काँ0-01/2018-63(1)60 /स्वा०, पटना, दिनांक- 6/11/2018
- प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/ महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- प्रमण्डलीय आयुक्त, मुजफ्फरपुर/जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर/कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- मा० मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1), स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-1/संबंधित सहायक को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

**श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरपुर, विपत्र कोड-
20-2210051050008 को वित्तीय वर्ष 2018-19 में राशि का अतिरिक्त आवंटन**

विषय शीर्ष	बजट उपबंध	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	अद्यतन कुल आवंटन	शेष राशि
0008.01.01 वेतन	225000000	168750000	56250000	225000000	0
0008.01.03 जीवन यापन भत्ता	25000000	18750000	6250000	25000000	0
0008.01.04 मकान किराया भत्ता	27341000	20505750	6835250	27341000	0
0008.01.05 परिवहन भत्ता	2659000	1994250	664750	2659000	0
0008.01.06 चिकित्सा भत्ता	2184000	1638000	546000	2184000	0
0008.01.07 अन्य भत्ता	33000	24750	8250	33000	0
योग- वेतन एवं भत्ते	282217000	211662750	70554250	282217000	0
0008.06.01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	500000	250000	250000	500000	0
0008.11.01 यात्रा व्यय	500000	250000	250000	500000	0
0008.13.01 कार्यालय व्यय	10000000	5000000	5000000	10000000	0
0008.13.02 वाहन का ईंधन एवं रख रखाव	500000	250000	250000	500000	0
0008.13.03 दूरभाष	200000	100000	100000	200000	0
0008.13.04 विद्युत प्रभार	10000000	10000000	0	10000000	0
0008.13.05 विधि प्रभार	300000	300000	0	300000	0
0008.13.06 वर्दी/पोशाक	300000	150000	150000	300000	0
0008.14.01 किराया महसूल एवं कर	500000	500000	0	500000	0
0008.16.01 प्रकाशन एवं मुद्रण	100000	50000	50000	100000	0
0008.20.02 कॉन्फरेंस, कार्यशाला, सेमिनार	200000	100000	100000	200000	0
0008.20.03 प्रशिक्षण व्यय	100000	50000	50000	100000	0
0008.21.01 सामग्री एवं पूर्तियाँ	10000000	5000000	5000000	10000000	0
0008.21.02 दवा भण्डार	2000000	1500000	500000	2000000	0
0008.27.02 अनुरक्षण एवं मरम्मत	10000000	0	0	0	10000000
0008.28.01 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	0	0	0	0	0
0008.28.02 संविदा सेवायें	80000000	60000000	20000000	80000000	0
0008.34.01 छात्रवृत्ति/वजीफा	20000000	20000000	0	20000000	0
0008.52.01 मशीनें एवं उपस्कर - कार्यालय	10000000	5000000	5000000	10000000	0
कुल योग :-	437417000	320162750	107254250	427417000	10000000

(रुपये दस करोड़ बहत्तर लाख चौवन हजार दो सौ पचास)

63(1) व 0
6-11-18



सरकार के विशेष सचिव

